

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/

6912-921

दिनांक :- 2/9/2014

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मोहनलाल,

मकान नं. 1/173, राजस्थान आवासन मण्डल,

चूरु रोड झुन्झुनू- 333001

(मेरिट क्रमांक 290/2011)

विषय:- लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में अंतिम नोटिस।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक 14 दि० 29 मई 2014 एवं पत्रांक 6340-46 दि० 21.07.14

विषयान्तर्गत आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा 2011 में सफल घोषित किए जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची विभाग में प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस वेरीफिकेशन की कार्यवाही पूर्ण होने एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र विभाग में उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय आदेश क्रमांक 4458-73 दिनांक 29 मई 2014 द्वारा आपको लेखाकार पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर कार्यालय जिला रसद अधिकारी जिला जैसलमेर में पदस्थापन के आदेश जारी कर दिनांक 13 जून 2014 तक कार्यग्रहण करने के आदेश जारी किए गए थे किन्तु विभागीय आदेशों की अनुपालना में आपके द्वारा लेखाकार पद पर कार्यग्रहण नहीं करने पर पुनः विभागीय पत्रांक 6340-46 दिनांक 21.07.2014 द्वारा आपको अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 30 जुलाई 2014 तक आपके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक विभागीय आदेशों की अनुपालना नहीं की गयी है।

अतः आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है दिनांक 10 सितम्बर 2014 तक आवश्यक रूप से कार्यालय जिला रसद अधिकारी जिला जैसलमेर में कार्यग्रहण कर विभाग को अवगत करावें। उक्त दिवस तक आप पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपके लेखाकार पद पर किए गए नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।


निदेशक,

कोष एवं लेखा विभाग

दिनांक :- 2/9/2014

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/ 6912-921

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. जिला रसद अधिकारी जिला जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
4. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, मकान नं. 1/173, राजस्थान आवासन मण्डल, चूरु रोड झुन्झुनू- 333001 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 10 सितम्बर 2014 तक विभागीय आदेशों की अनुपालना में निर्धारित नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ कर कार्यारम्भ रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(के. एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)